भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1165
उत्तर देने की तारीख : 16.12.2013

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की विफलता

1165. श्री साबिर अली :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सामाजिक विकास परिषद के सामाजिक विकास प्रतिवेदन, 2012 ने यह रिपोर्ट दी है कि हाशिए पर आए अल्पसंख्यकों का यह दावा है कि 'सच्चर समिति रिपोर्ट' के बाद शुरू किया गया बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम विफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन इन वायदों को पूरा करने में सरकार की असफलता के कारणों के रूप में अल्पसंख्यक केन्द्रित कार्यक्रमों पर सटीक रूप से ध्यान केन्द्रित न होना, निधियों की कमी और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण संबंधी व्यंग्यों के डर को सूचीबद्ध करता है और यदि हां, तो सच्चर समिति द्वारा सिफारिश किये गये लाभों को निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों को प्रदान किये जाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग)

(क) सामाजिक विकास परिषद की सामाजिक विकास रिपोर्ट 2012 के ''एसेसिंग यूपीए गर्वमेंटस रिस्पौन्स टू मुस्लिम डेपराइवेशन'' शीर्षक युक्त अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मुस्लिमों के सामाजिक–आर्थिक वंचना के उपश्मन में निष्प्रभावी रहा है। तथापि, यह एमएसडीपी का तथ्यपूर्ण आंकलन नहीं हैं। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत, 11वीं योजना के दौरान, योजना के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार लक्षित अल्पसंख्यकों का 90% मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) 2008–09 से कारगर ढंग से क्रियान्वित किया गया है। 3733.90 करोड़ रुपये (11वीं योजना के लिए कुल आबंटन का 99%) के परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया था और 2935.93 करोड़ रुपये (अनुमोदित राशि का 78.63%) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी कर दिया गया था। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जारी की गई राशि के 77.62% का उपयोग कर लिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2286.25 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किये गए हैं और आज की तारीख तक 1383.06 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

एमएसडीपी के प्रारंभ से लेकर इसके अंतर्गत, 44 पोलिटेक्निक, 116 आईटीआई, 665 स्वास्थ्य केंद्र, 35213 आगनवाड़ी केंद्र, 900 विद्यालय भवन, 603 छात्रावास, 19195 अतिरिक्त

कक्षा–कक्ष, 5086 पेयजल परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले गांवों/ब्लॉकों/स्थानों के लिए मंजूर की गई हैं। कुछ राज्यों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने, क्रियान्वयन एजेंसियों को राज्य द्वारा निधियां विलम्ब से जारी किए जाने, परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि के उपलब्ध न होने और राज्य सरकार द्वारा निष्पादन कर्ता एजेंसियों के निर्धारण विलम्ब से करने की वजह से कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है।

(ख) सामाजिक विकास परिषद की सामाजिक विकास रिपोर्ट 2012 के ''एसेसिंग यूपीए गर्वमेंटस रिस्पौन्स टू मुस्लिम डेपराइवेशन'' शीर्षक युक्त अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय पर ही ध्यान केंद्रण की कमी, राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह से निधि और सजग प्रत्युत्तर की कमी के कारण है। तथापि्, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार के कार्यक्रमों का यह तथ्यपूर्ण आंकलन नहीं है।

सच्चर समिति की रिपार्ट के आधार पर, कुल 76 सिफारिशें सूचीबद्ध की गई थी और उनमें से सरकार द्वारा 72 सिफारिशें अनुमोदित की गई थीं। मोटे तौर पर सरकार ने 72 सिफारिशों के संबंध में 43 निर्णय लिए थे। कुछ सिफारिशें एक साथ सम्मिलित कर ली गई थीं। इन निर्णयों के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दिया गया है। ये सिफारिशें मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित हैं:

(i) शैक्षिक सशक्तिकरण – 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और उच्च गुणता वाली शिक्षा मुहैया कराना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, छात्रवृत्तियां प्रदान करना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना, आदि।

(ii) ऋण की सुलभता – प्राथमिक क्षेत्र ऋण तक अल्पसंख्यकों की पहुँच बढ़ाना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलना, महिलाओं में सूक्ष्म–वित्त को बढ़ाना, आदि।

(iii) कौशल विकास – अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उच्च वृद्धि संभावना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आईटीआई और पोलिटेक्निक खोलना।

(iv) विशेष क्षेत्र विकास पहल – गांवों/नगरों/कस्बों में मुस्लिमों सहित सभी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं, अच्छी क्वालिटी के सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना।

(v) सकारात्मक कार्रवाई हेतु उपाय – समान अवसर आयोग (ईओसी), राष्ट्रीय डाटा बैंक (एनडीबी) और मूल्यांकन तथा निगरानी प्राधिकरण (एएमए) की स्थापना।

(vi) वक्फ मुद्दे – वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग।

(vii) विविध मामले

इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम, जिसका क्रियान्वयन 2006 से किया जा रहा है, में भी सच्चर समिति उठाई गई तमाम चिंताओं का समाधान होता है।

*****